

# राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र


क्रमांक ..... 95./श्रीगंगानगर/2005-06.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि दी इण्डियन पब्लिक स्कूल  
समिति कालियां जिला श्री गंगानगर का पंजीयन  
राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या  
28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक २४: माह फरवरी  
सन् दो हजार २४: को किया गया था ।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर दी नोबल स्कॉलर  
स्केडमी समिति, हिन्दुमलकोट रोड कालियां जिला श्रीगंगानगर कर दिया  
गया है। यह परिवर्तन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा  
12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से आज  
दिनांक दस माह सितम्बर सन् दो हजार  
२४ को श्रीगंगानगर में दिया गया है।



  
राजस्थान सरकार  
रजिस्ट्रार संस्थान  
श्रीगंगानगर (DDO No 014001)